

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं (राज0)

मुकदमा संख्या :- 228 / 2025

G.C.M.S. No. 2025/62

वाद पत्र :- घोषणात्मक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उनवानी

सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री मुंशीलाल कुमावत उम्र 43 वर्ष जाति कुम्हार निवासी काकोड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं (राज0) (9636028367)

.....वादी

- ब नाम -

संदीप कुमार पुत्र स्व. श्री दयानन्द जाति जाट निवासी काकोड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं (राज0) नवीरा स्व. श्री रामस्वरूप व अन्य

.....प्रतिवादीगण


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
20.06.2025	<p>आज यह वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के तहत बाबत घोषणात्मक हेतु वादी स्वयं ने उपस्थित होकर पेश किया। कार्यालय टिप्पणी ली गई। वाद पत्र न्यायालय हाजा के सुनवाई क्षेत्राधिकार का होने से बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रस्तुत सम्मन तलबाना पर प्रतिवादीगण की तामील जारी हो। मिसल वास्ते तामील प्रतिवादीगण दिनांक 24.06.2025 को पेश हो।</p> <p>24/06/25 फावली पेश हुई प्रतिवादीगण के नोटिस असाख्तन साथै रूप से वाद तामील प्राप्त। अख्तार पर वादी व प्रतिवादी सं. 01 एजिर साथै। प्रतिवादी सं. 01 को साथै ही फावली पेश किया जा शामिल फावली किया गया। प्रतिवादी सं. 02 अख्तार 13 ताल्लूक समथर खूपना के अनुपस्थित। अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अख्तार में जारी जा रही है। उद्ययपक्षकारान के निविदन पर नए समथर पक्षकारान सुमी गई प्रतिवादी सं. 01 ने वादी का वादपत्र स्वीकार कर डिक्री किया</p>	<p>नम्बर 25/583 दिनांक 25/06/25</p>

ब्र हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स

नम्बर  
अहम  
हुक्म  
में

जाने का निवेदन किया। अतः वादी  
का वादपत्र स्वीकार कर अंतिम रूप  
से डिफ्री किया जाता है। किस्त निर्णय  
पृथक् से लिखाथा। वास्तव शामिल  
फासलियां किया गया। प्रभावित फैसला  
शुभाह होकर पद नम्बर से काम हो  
तथा बाद तकमौल वाफा कारित्य  
फसर हो।

  
उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़